# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1553/2025**

सैय्यद आसिफ अली नकवी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अस्पताल मालपुरा, जिला टोंक।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 24.01.2025
**आदेश की दिनांक** : 27.02.2025

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री विकास जाखड़, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जिला अस्पताल मालपुरा, जिला टोंक में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप जिला चिकित्सालय, देचू, फलौदी किया गया है। उनका कथन है कि वह अपने माँ के साथ रहता है और उसके एक 10 वर्ष का बेटा है जो उसके दिमाग में grown cyst है तथा गंभीर बीमारी से पीडित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–5 से स्पष्ट है और इस प्रकार चिकित्सीय सहायता के लिये अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुये स्थानांतरण किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जिला अस्पताल मालपुरा, जिला टोंक में कार्यरत है और आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला टोंक से फलौदी किया गया है। जबकि अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का बालक जो दिमाग की गंभीर बीमारी से पीडित है और जिसके लिये चिकित्सीय सहायता भी आवश्यक है और देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.01.2025 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**